



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त, 2018-भाद्र 9, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे घर का नाम अजय सदाना है व मेरा मूल नाम शुभम् सदाना (SHUBHAM SADANA) है. यही नाम मेरा शैक्षणिक दस्तावेजों एवम् बैंक रिकार्ड में अंकित है. किन्तु मेरी (LIC POLICY 201228074) दिनांक 01-04-2000 में मेरा नाम अजय सदाना के नाम से अंकित है. परन्तु मेरा वास्तविक नाम शुभम् सदाना है. भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शुभम् सदाना के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(अजय सदाना)

नया नाम :

(शुभम् सदाना)

पुत्र श्री अनिल कुमार सदाना,
पता-झूले लाल कॉलोनी, ठाकुर बाबा रोड,
लशकर, ग्वालियर.

(428-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैंने अपने पुत्र का नाम अंकित शर्मा से बदलकर नया नाम गालव शर्मा रख लिया है. अतः सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरे पुत्र को उसके नये नाम गालव शर्मा से ही जाना एवं पहचाना जावे.

सूचनाकर्ता

बृजबिहारी शर्मा,

ग्राम एवं पोस्ट अमायन,
बड़ी पट्टी, तहसील मेहगांव,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

(429-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा पुराना उपनाम वर्मा लिखा गया था. जिसे मैंने अब बदलकर अपना नया उपनाम लखेरा रख लिया है, मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा पुराना उपनाम वर्मा अंकित है. मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय व अन्य समस्त दस्तावेजों में अपना नाम कुलदीप वर्मा के स्थान पर कुलदीप लखेरा दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः भविष्य में मेरा उपनाम कुलदीप वर्मा के स्थान पर कुलदीप लखेरा ही पढ़ा लिखा व समझा जावे.

पुराना नाम :

(कुलदीप वर्मा)

(430-बी.)

नया नाम :

(कुलदीप लखेरा)

पता-इमलीनाका सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा उपनाम लखेरा अंकित है लेकिन पेनकार्ड में भूलवश मेरा उपनाम वर्मा अंकित हो गया था. जिसे मैंने सुधरवाकर अपना उपनाम लखेरा अंकित करा लिया है. अतः भविष्य में समस्त शासकीय, अशासकीय व शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मोनिका वर्मा के स्थान पर मोनिका लखेरा ही पढ़ा-लिखा व समझा जावे.

पुराना नाम :

(मोनिका वर्मा)

(431-बी.)

नया नाम :

(मोनिका लखेरा)

पत्नी कुलदीप लखेरा,
पता-इमलीनाका सिकन्दर कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर.**नाम परिवर्तन**

मैं, नरेश पिता बाजीराव महाजन, निवासी वार्ड नंबर 8, ग्राम खामनी, पोस्ट खामनी, तहसील व जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री प्रणिता महाजन के शालेय अभिलेख में मेरा नाम त्रुटिवश "नरेश महाजन" अंकित चला आ रहा है, जबकि मेरा वास्तविक नाम "नरेन्द्र महाजन" है, अब इस नाम परिवर्तन के पश्चात् मेरी पुत्री के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिलेखों के लिए मेरा नाम "नरेन्द्र महाजन" के रूप में पढ़ा, समझा जावे तथा मुझे अपने नवीन नाम "नरेन्द्र" से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(नरेश महाजन)

पिता बाजीराव महाजन.

(432-बी.)

नया नाम :

(नरेन्द्र महाजन)

पिता बाजीराव महाजन,
वार्ड नंबर 8, ग्राम खामनी, पोस्ट खामनी,
तहसील व जिला बुरहानपुर.**नाम परिवर्तन**

सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी भावी शाह पिता विपिनचंद शाह रहा होकर विवाह पूर्व मैं अपने इसी नाम से जानी व पहिचानी व सम्बोधित की जाती रही होकर मेरा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज/अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 29-09-1995 श्री संदीप परिहार के साथ सम्पन्न हुआ होने से विवाह उपरांत से मेरा नाम श्रीमती भाविका परिहार पति संदीप परिहार हो गया है व विवाह उपरांत से मैं श्रीमती भाविका परिहार पति संदीप परिहार के नाम से जानी, पहिचानी व सम्बोधित की जाती होकर भविष्य में भी श्रीमती भाविका परिहार के नाम से जानी-पहिचानी व सम्बोधित की जाऊंगी.

पुराना नाम :

(भावी शाह)

(433-बी.)

नया नाम :

(भाविका परिहार)

पति संदीप,
301, चांदनी अपार्टमेंट, 292 उषा नगर,
अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म.प्र.).**CHANGE OF NAME**

I, Krishandas Alias Anil Agrawal S/o Ram Ratan Agrawal, here by declare that I have change my name as Anil Agrawal S/o Ram Ratan Agrawal So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

(KRISHANDAS ALIAS ANIL AGRAWAL)

(441-B.)

New Name :

(ANIL AGRAWAL)

S/o Ramratan Agrawal,
Add-119, Khajrana Kothi Vaikunth
Dham Colonu, Behind Anand Bazar,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित पत्र जारी किया जाता है कि, मेरे पक्षकार राजकुमार पुत्र श्री बाटूमल जाति सिंधी, निवासी 469/173, संगीता लॉज के पीछे, रामनगर दतिया, तहसील व जिला दतिया में निवासरत होकर ग्वालियर में अपना व्यापार करते हैं। उक्त राजकुमार का पूर्व के अभिलेख आधार कार्ड एवं पेनकार्ड एवं अंकसूची एवं बैंक अभिलेख में नाम वासुदेव रतनाणी लिखा हुआ था। लेकिन अब मेरे पक्षकार द्वारा समस्त अभिलेखों में अपना नाम राजकुमार पुत्र श्री बाटूमल करवा लिया है। मेरे पक्षकार का आधार कार्ड नम्बर 226521473921 है जो नम्बर मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड एवं वोटर कार्ड था उसी नम्बर पर मेरा नाम राजकुमार अंकित हो गया है। यह सूचना-पत्र जारी करना इस कारण आवश्यक हुआ है कि मेरे नाम को अब राजकुमार के नाम से जाना जायेगा एवं मेरे साथ जो भी पत्र व्यवहार या अन्य किसी प्रकार का कोई भी कार्य सिर्फ राजकुमार के नाम से होगा।

अतः आमजन सूचित हो।

शशि कुमार तिवारी,

(एडवोकेट)

वास्ते:-

पक्षकार राजकुमार पुत्र श्री बाटूमल,
निवासी-469/173, संगीता लॉज के पीछे,
रामनगर कॉलोनी, दतिया (म.प्र.).

(434-बी.)

नाम परिवर्तन

इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, शादी के पूर्व मैं, पल्लवी यादव पुत्री श्री धरमवीरजी यादव, निवासी ग्राम कनावटी, तहसील नीमच, जिला नीमच मध्यप्रदेश के नाम से जानी जाती थी। किन्तु मैंने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 अनुसार अली असगर जमील पिता आरिफ जमील निवासी 75-76 न्यू बोहरा कॉलोनी, स्कीम नम्बर 36 के पीछे, नीमच के साथ विवाह दिनांक 27-12-2016 को कर लिया है जिसका रजिस्ट्रेशन भी मैरेज ऑफिसर द्वारा प्र.क्र. 4सी-42/ 2016-17 में शादी का प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रेशन नम्बर-1/2016 अनुसार कर विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और शादी के दिनांक से मैंने अपना नाम पल्लवी यादव परिवर्तित कर अपना नाम जहारा जमील पति अली असगर जमील, निवासी 75-76 न्यू बोहरा कॉलोनी, वार्ड 10, स्कीम नं. 36 के पीछे नीमच, तहसील नीमच, जिला-नीमच म.प्र. कर लिया है और भविष्य में मैं, अब इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम :

(पल्लवी यादव)

नया नाम :

(जहारा जमील)

पति अली असगर जमील,
75-76, न्यू बोहरा कॉलोनी, वार्ड नं. 10,
स्कीम नं. 36 के पीछे नीमच,
तह. नीमच, जिला नीमच (म.प्र.).

(435-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम रघुनाथ पाटिल पुत्र श्री भैरूलाल पाटिल था। मेरे सभी शैक्षणिक प्रपत्र इत्यादि में मेरा नाम रघुनाथ पाटिल पुत्र श्री भैरूलाल पाटिल लिखा हुआ है जबकि वर्तमान में मैं, रघुनाथ पाटीदार पुत्र श्री भैरूलाल पाटीदार के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, वोटर कार्ड, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, नगर पालिका निगम इत्यादि में मेरा नाम रघुनाथ पाटीदार पुत्र श्री भैरूलाल पाटीदार लिखा हुआ है। और मैं, भविष्य में भी रघुनाथ पाटीदार पुत्र श्री भैरूलाल पाटीदार के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। रघुनाथ पाटील एवं रघुनाथ पाटीदार एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरे पूर्व के शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम रघुनाथ पाटीदार पुत्र श्री भैरूलाल पाटीदार अंकित किया जाये, भविष्य में भी मुझे रघुनाथ पाटीदार पुत्र श्री भैरूलाल पाटीदार के नाम से पहचाना एवं पुकारा जाये। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(रघुनाथ पाटील)

(436)

नया नाम :

(रघुनाथ पाटीदार)

ई-7/565, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

उप-नाम परिवर्तन

मैं, गुपला (GUPLA) अहिरवार तनय श्री गडुवा अहिरवार, निवासी ग्राम व पो. बूदौर, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) का हूँ

जो कि निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करता हूँ.—

1. यहकि मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा सही नाम गुपला (GUPLA) अहिरवार है.
2. यहकि मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि हरिलाल अहिरवार (Harilal Ahirwar) मेरा पुत्र है जिसके समस्त शिक्षा संबंधी दस्तावेजों पर नाम गुपला (GUPLA) अहिरवार दर्ज है.
3. यहकि मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे पुत्र के द्वारा अपना पेनकार्ड बनवाया गया है जिसमें भूलवश गुपला (GUPLA) के स्थान पर गोपाल (GOPAL) दर्ज हो गया है.
4. यहकि मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं, यह शपथपत्र इसलिये लेख करवा रहा हूँ कि पिता के नाम के स्थान पर गोपाल (GOPAL) के स्थान पर गुपला अहिरवार (GUPLA) दर्ज किये जाने हेतु लेख करवाया है जो सही एवं सच है.

पुराना नाम :

(गोपाल)

नया नाम :

(गुपला अहिरवार)

(442-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम प्रभात सिंह ठाकुर है किन्तु मेरी अंकसूचियों में मेरा नाम प्रभात सिंह ही लिखा हुआ है. अतः मेरे समस्त दस्तावेजों में मुझे मेरे पूरे नाम प्रभात सिंह ठाकुर पुत्र श्री अमृत सिंह ठाकुर से ही लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(प्रभात सिंह)

पुत्र श्री ए.एस. ठाकुर.

नया नाम :

(प्रभात सिंह ठाकुर)

पुत्र श्री अमृत सिंह ठाकुर,
10वीं बटालियन, एसएएफ मकरोनिया,
सागर (म.प्र.).

(440-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16-08-2018 से भागीदार पंजीकृत फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 04/21/01/0134/16, दिनांक 16-09-2016 है. मै. ऑमकारा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एम. आई. जी.-53, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बालाघाट की भागीदारी में सुनंदा दहीकर पति स्व. बालकृष्ण दहीकर, निवासी बालाघाट (उम्र 59) को भागीदार के रूप में शामिल किया गया है तथा श्री दिव्यांशु तिवारी आत्मज श्री रामकिशोर तिवारी, निवासी बालाघाट का भागीदार से विलय हो गया है.

मै. ऑमकारा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,

सौरभ दहीकर,

(भागीदार)

एम. आई. जी.-53, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
बालाघाट (म.प्र.).

(438-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स देव एसोसिएट्स रोशन कॉम्प्लेक्स अमहिया, रीवा से सर्व श्री शंकरलाल कृष्णानी पिता हीरालाल कृष्णानी, कंचन कृष्णानी पत्नी शंकरलाल कृष्णानी दिनांक 31-03-2018 ये फर्म से पृथक् हो गये हैं. शेष भागीदार श्री देवेन्द्र दुबे पिता श्री एस. एन. दुबे 50 प्रतिशत एवं श्रीमती पुष्पा दुबे पत्नी श्री देवेन्द्र दुबे 50 प्रतिशत के भागीदार रहेंगे.

मेसर्स देव एसोसिएट्स

देवेन्द्र दुबे,

(भागीदार)

रोशन काम्प्लेक्स अमहिया, रीवा.

(439-बी.)

जाहिर सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 72 के अधीन सूचना-पत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शीतलनाथ कोलोनिजेस, जिसका कार्यालय R-48, तृतीय तल, जोन-2, एम.पी. नगर,

भोपाल मध्यप्रदेश है, जिसका फर्म र. न. 01/01/01/00182/12, में से भागीदार (1) श्रीमती कीर्ति हेमनानी आत्मज श्री श्याम हेमनानी, (2) श्री आशीष राठौर आत्मज श्री पन्नालाल राठौर एवं (3) श्री शिव नारायण राठौर आत्मज श्री गेंदालाल राठौर फर्म की भागीदारी से दिनांक 15-07-2017 को पृथक् हो गए हैं।

शीतलनाथ कोलोनिजर्स,
सभवं सोगानी,
(एडवोकेट).

(437-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 अगस्त, 2018

क्र./1717/री.ए.डी.एम./2018.—अति. पुलिस अधीक्षक, यातायात, इन्दौर द्वारा अपने प्रतिवेदन क्रमांक अपुअ/याता./इन्दौर/1191/18, दिनांक 30 जुलाई, 2018 द्वारा अवगत कराया गया कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में कार्बड यात्री इन्दौर की ओर से ओंकारेश्वर आते-जाते हैं। इसी मार्ग पर भारी मालयान वाहनों का भी निरन्तर आवागमन होने के कारण यातायात का अत्यधिक दबाव इस क्षेत्र में रहता है और इस दौरान सदैव दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तेजाजी नगर से खण्डवा की ओर जाने वाले मार्ग में भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित/प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होते हुये मोटरयान नियम-1994 के नियम-215 में प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मोटर यान अधिनियम, 1980 की धारा-115 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में मैं, निशांत वरवड़े, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर निम्नानुसार व्यस्त मार्ग पर उनके सामने दर्शाये गये समय एवं अवधि में ट्रक/भारवाही वाहनों के इन्दौर शहर में आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबन्धित करता हूँ:-

क्र.	मार्ग	प्रतिबंधित समय एवं अवधि	रिमार्क
1.	तेजाजी नगर से खण्डवा की ओर आने-जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनों.	प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक (केवल श्रावण मास हेतु)	यह वाहन ए.बी.रोड होते हुये सनावद की ओर जा सकेंगे

- यह प्रतिबंध केवल भार मालयान वाहनों के लिये है, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत् पूर्ववत् चालू रहेंगे.
- उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन-सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णतः/अंशतः यथा अपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा.

(976)

इन्दौर, दिनांक 06 अगस्त, 2018

संशोधित अधिसूचना

क्र./1719/री.ए.डी.एम./2018.—पूर्व में जारी कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 2191-2192/री.ए.डी.एम./2009, दिनांक 29/10/2009 में अति. पुलिस अधीक्षक (यातायात), जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र क्रमांक अपुअ/याता./इन्दौर/1144/18, दिनांक 16 जुलाई, 2018 के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, निशांत वरवड़े, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर मोटरयान अधिनियम-1988 (अधिनियम क्रमांक-59) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बड़े आकार के माल वाहक भार वाहनों (407 एवं उससे उपर की श्रेणी के) के आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से तेजाजी नगर से आई.टी.पार्क चौराहे तक के लिये प्रातः 06:00 बजे से 23:00 बजे तक प्रतिबन्धित करता हूँ:-

- यह प्रतिबंध केवल भार वाहनों (407 एवं उससे ऊपर की श्रेणी वाले समस्त वाहन) के लिये है, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत् पूर्ववत् चालू रहेंगे.

2. उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन-सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णतः/अंशतः यथा अपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वतः अमल में आवेगी.

(977)

निशांत वरवड़े,
जिला दण्डाधिकारी.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी सार्वजनिक न्यास, पथरिया, जिला दमोह

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

यहकि श्री बलराम प्रसाद पिता श्री लाल तिवारी, निवासी सेमरालोधी, तहसील पथरिया, जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन-पत्र किया है एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 2018 के माह जुलाई के 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम एवं पता : 1. श्री देव राधाकृष्ण मंदिर, सेमरालोधी, अध्यक्ष
श्री बलराम प्रसाद तिवारी पिता श्री लाल तिवारी,
निवासी सेमरा, लोधी.

संपत्ति का विवरण:-

1. मौजा सेमरा लोधी, तहसील पथरिया, जिला दमोह में खसरा नं. 143, 144/1, 177, 456, 462 रकबा क्रमशः 0.130, 2.040, 0.360, 1.230, 2.250 कुल रकबा 6.310 हे.

(972)

संजीव साहू,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बुधनी, जिला सीहोर

प्रारूप-5

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक, बुधनी, जिला सीहोर के समक्ष.

मुझे ज्ञात हुआ है यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उप धारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

इसलिये मैं, शैलेन्द्र हनोतिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बुधनी, जिला सीहोर मेरे समक्ष आवेदिका रामबाई पंडा, प. हरिशंकर पंडा, निवासी नयागांव, तहसील रेहटी, जिला सीहोर पर कथित अधिनियम, की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	संपत्ति का वर्णन	चल सम्पत्ति	अचल सम्पत्ति	अन्य विवरण
राम जानकी मंदिर ग्राम नयागांव, तहसील रेहटी	138/1 रकबा 2.00 एकड़ स्थित ग्राम नयागांव, तहसील रेहटी.	निरंक	निरंक	-

शैलेन्द्र हनोतिया,

(974)

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संयोगितागंज क्षेत्र, इन्दौर**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक लक्ष्यश्री सहयोग संस्था, इन्दौर, पता 75, रेवेन्यू नगर (भिचौली हप्पी रोड) इन्दौर मध्यप्रदेश तर्फे कार्यरत ट्रस्टी एवं मेनेजर श्री बालचंद गामी पिता श्री भेरूलाल गामी, निवासी 75, रेवेन्यू नगर (भिचौली हप्पी रोड) इन्दौर व श्रीमती सुनीता वर्मा पति श्री सुरेश वर्मा, निवासी प्लेट नं. 103-सी, मोनार्क हाईट्स आईडीए स्कीम नम्बर 140, पिपल्याहाना, इन्दौर द्वारा लक्ष्यश्री सहयोग संस्था का पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4(2) के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“लक्ष्यश्री सहयोग संस्था”
पता	:	75, रेवेन्यू नगर (भिचौली हप्पी रोड) इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 2002/- (अक्षरी रुपये दो हजार दो मात्र) है.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(975)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री न्यासी श्री हरिश चंडोक पिता श्रीराम चंडोक, निवासी 22-21, मनीषपुरी साकेत, इन्दौर द्वारा श्री हरिश चंडोक चैरिटैबल ट्रस्ट, पता 22-21, मनीषपुरी साकेत, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री हरिश चंडोक चैरिटैबल ट्रस्ट.
पता	:	22-21, मनीषपुरी साकेत, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 11,000/- (अक्षरी ग्यारह हजार मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक/08/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1018)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक प्रतिभा प्रतीक्षा आदर्श गुरुकुल तर्फे अध्यक्ष श्री संतोष जैन पिता स्व. पन्नालाल जैन, निवासी 101, श्री मंगल नगर, बिचौली रोड, इन्दौर द्वारा प्रतिभा प्रतीक्षा आदर्श गुरुकुल पारमार्थिक न्यास, पता 7-8, उदय नगर, बिचौली रोड, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	प्रतिभा प्रतीक्षा आदर्श गुरुकुल पारमार्थिक न्यास.
पता	:	पता 7-8, उदय नगर, बिचौली रोड, इन्दौर
चल सम्पत्ति	:	रुपये 22,000, (अक्षरी बाईस हजार मात्र) हैं.
अचल सम्पत्ति	:	प्लॉट 11-ए, उदय नगर, इन्दौर, क्षेत्रफल 30X60=1800 स्क. फीट. रुपये. 3358,000 (अक्षरी तैंतीस लाख अठावन हजार मात्र) एवं प्लॉट 12-ए, उदय नगर, इन्दौर. क्षेत्रफल 30X60=1800 स्क. फीट. रुपये 3358,000 (अक्षरी तैंतीस लाख अठावन हजार मात्र) कुल कीमत 67,16,000 (सड़सठ लाख सोलह हजार मात्र) हैं.

आज दिनांक/08/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

राकेश शर्मा,
पंजीयक.

(1019)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, अशोकनगर

प्र.क्र.71व121/2017-18.

(नियम पांच-1 देखिए)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत)

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, लोक न्यास के पंजीयक, अशोकनगर, जिला अशोकनगर के समक्ष यह कि आवेदक रघुवंशी धर्मशाला शिक्षा परिषद् ट्रस्ट अशोकनगर द्वारा अध्यक्ष श्री अशोक कुमार पुत्र गनेशराम रघुवंशी, ग्राम-सावन, तहसील व जिला अशोकनगर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 26 दिसम्बर 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार रघुवंशी पिता श्री गनेशराम रघुवंशी, ग्राम सावन, तहसील व जिला अशोकनगर, रघुवंशी शिक्षा परिषद् समाज ट्रस्ट अशोकनगर जिला अशोकनगर (म.प्र.).
2. चल सम्पत्ति रुपये 1,40,000 (एक लाख चालीस हजार रुपये)
3. अचल सम्पत्ति - ग्राम कस्बा अशोकनगर, तहसील व जिला अशोकनगर खसरा नम्बर 557/2 रकबा 0.261 हेक्टर.

जारी दिनांक, 23 अगस्त, 2018.

नीलेश कुमार शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1020)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1839.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/249, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा जय हनुमान साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जोरौट, पंजीयन क्रमांक 1238/17-11-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय हनुमान साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जोरौट, पंजीयन क्रमांक 1238/17-11-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(984)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1840.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/126, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के द्वारा अष्ट भुजी साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सोनवर्षा, पंजीयन क्रमांक 1236/17-11-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अष्ट भुजी साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सोनवर्षा, पंजीयन क्रमांक 1236/17-11-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(985)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1841.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/2089, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दुवगवां दुवान, पंजीयन क्रमांक 1019/12-04-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं

लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दुवगवां दुवान, पंजीयन क्रमांक 1019/12-04-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(986)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1842.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/1506, दिनांक 11 जनवरी, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बेलौही शाहपुर, पंजीयन क्रमांक 1112/04-10-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन.पी.सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बेलौही शाहपुर, पंजीयन क्रमांक 1112/04-10-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित मझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(987)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1843.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/396, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा कृष्णा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सेमरिया, पंजीयन क्रमांक 607/13-12-1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस.के.झा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्णा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सेमरिया, पंजीयन क्रमांक 607/13-12-1997 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(988)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1844.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/534, दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा सत्य ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, नदना, पंजीयन क्रमांक 770/03-05-1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस.के.झा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्य ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, नदना, पंजीयन क्रमांक 770/03-05-1997 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(989)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1845.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/399, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गोदरी नं.2 गंगेव, पंजीयन क्रमांक 998/27-10-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस.के.झा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गोदरी नं.2 गंगेव, पंजीयन क्रमांक 998/27-10-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(990)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1846.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/216, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा शिव साग-सब्जी, मसाला उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिपरा, पंजीयन क्रमांक 1264/17-11-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम.एल.साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए साग-सब्जी, मसाला उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिपरा, पंजीयन क्रमांक 1264/17-11-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(991)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1847.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/2151, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के द्वारा विन्ध्यांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मऊगंज, पंजीयन क्रमांक 1145/28-10-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम.एल.साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विन्ध्यांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मऊगंज, पंजीयन क्रमांक 1145/28-10-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(992)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1848.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/239, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा आदर्श साग-सब्जी सहकारी समिति मर्यादित, तिविरगवां, पंजीयन क्रमांक 1230/17-11-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम.एल.साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श साग-सब्जी सहकारी समिति मर्यादित, तिविरगवां, पंजीयन क्रमांक 1230/17-11-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(993)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1849.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/2284, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 के द्वारा क्रिया योग वैज्ञानिक सत्यम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुर तमरी, पंजीयन क्रमांक 1159/28-10-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की

धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम.एल.साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रिया योग वैज्ञानिक सत्यम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुर तमरी, पंजीयन क्रमांक 1159/28-10-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(994)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1850.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/2285, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 के द्वारा सरदार पटेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नौढ़िया, पंजीयन क्रमांक 1160/28-10-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम.एल.साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदार पटेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नौढ़िया, पंजीयन क्रमांक 1160/28-10-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(995)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1851.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/511, दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, शिवराजपुर, पंजीयन क्रमांक 828/04-01-2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही.पी.दुबे सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, शिवराजपुर, पंजीयन क्रमांक 828/04-01-2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(996)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1852.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/394, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लवरपुरवा, पंजीयन क्रमांक 394/23-01-2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही.पी.दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लवरपुरवा, पंजीयन क्रमांक 394/23-01-2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(997)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1853.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/513, दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा गोपाल ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, सेमरिया, पंजीयन क्रमांक 909/16-06-2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही.पी.दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोपाल ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, सेमरिया, पंजीयन क्रमांक 909/16-06-2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(998)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1854.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/1506, दिनांक 11 जनवरी, 2017 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ऊँचाडीह बाबा की बरौली, पंजीयन क्रमांक 1122/16-10-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन.पी.सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ऊँचाडीह बाबा की बरौली, पंजीयन क्रमांक 1122/16-10-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(999)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1855.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/511, दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, गोविन्दगढ़, पंजीयन क्रमांक 765/17-02-1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही.पी.दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, गोविन्दगढ़, पंजीयन क्रमांक 765/17-02-1997 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1000)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1856.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/392, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कटरा, पंजीयन क्रमांक 1010/30-10-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही.पी.दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कटरा, पंजीयन क्रमांक 1010/30-10-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1001)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1857.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/419, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जनकहाई, पंजीयन क्रमांक 2014/11-10-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के

अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही.पी.दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जनकहाई, पंजीयन क्रमांक 2014/11-10-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1002)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1858.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/572, दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा अमन ईधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति, भखरवार, पंजीयन क्रमांक 927/01-09-2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही.पी.दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमन ईधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति, भखरवार, पंजीयन क्रमांक 927/01-09-2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1003)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1859.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/391, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गोपालपुरवा, पंजीयन क्रमांक 1090/11-02-2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही.पी.दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गोपालपुरवा, पंजीयन क्रमांक 1090/11-02-2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1004)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1860.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/398, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुरवा, पंजीयन क्रमांक 972/05-08-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री यू.के.लेडवानी, अंकेक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुरवा, पंजीयन क्रमांक 972/05-08-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1005)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1861.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/402, दिनांक 14 मार्च, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बॉस, पंजीयन क्रमांक 1097/14-08-2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री यू.के.लेडवानी, अंकेक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बॉस, पंजीयन क्रमांक 1097/14-08-2013 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1006)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1862.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/385, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरौं, पंजीयन क्रमांक 978/13-09-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री यू.के.लेडवानी, अंकेक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरौ, पंजीयन क्रमांक 978/13-09-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1007)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1863.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/1182, दिनांक 27 जून, 2014 के द्वारा हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, मनगवां, पंजीयन क्रमांक 750/05-08-1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री लेखराम द्विवेदी, वरि.सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, मनगवां, पंजीयन क्रमांक 750/05-08-1996 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1008)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1864.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/999, दिनांक 30 जुलाई, 2016 के द्वारा महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, वार्ड नं. 2, पुष्परज नगर, रीवा, पंजीयन क्रमांक 15/26-08-2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अशोक कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, वार्ड नं. 2, पुष्परज नगर, रीवा, पंजीयन क्रमांक 15/26-08-2005 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1009)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1865.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/420, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कृतिर्या पाडर, पंजीयन क्रमांक 1128/17-10-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस.के.झा,

सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कृर्तिया पाड़र, पंजीयन क्रमांक 1128/17-10-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1010)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1866.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/237, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा वर्षी महिला उत्थान सहकारी समिति मर्यादित, उमरी माधौ, पंजीयन क्रमांक 1259/17-11-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम.एल.साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्षी महिला उत्थान सहकारी समिति मर्यादित, उमरी माधौ, पंजीयन क्रमांक 1259/17-11-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1011)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1870.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/579, दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा न्यू आदर्श भेड़-बकरी, कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, अगडाल माधौ, पंजीयन क्रमांक 919/04-07-2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर.पी.सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू आदर्श भेड़-बकरी, कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, अगडाल माधौ, पंजीयन क्रमांक 919/04-07-2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1012)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1871.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/387, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा गोकुल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, क्योटी, पंजीयन क्रमांक 1072/21-06-2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर.पी.सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकक्षण, सहायक आयुक्त (अंकक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोकुल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, क्योटी, पंजीयन क्रमांक 1072/21-06-2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1013)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1872.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/219, दिनांक 19 जून, 2017 के द्वारा महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, घोघर रीवा, पंजीयन क्रमांक 694/07-11-1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर.पी.सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकक्षण, सहायक आयुक्त (अंकक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, घोघर रीवा, पंजीयन क्रमांक 694/07-11-1989 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1014)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1873.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/400, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ककरहा, पंजीयन क्रमांक 1009/30-10-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस.के.झा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकक्षण, सहायक आयुक्त (अंकक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ककरहा, पंजीयन क्रमांक 1009/30-10-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1015)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1874.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/536, दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा रामावतार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जल्दर, पंजीयन क्रमांक 146/15-06-2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस.के.झा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामावतार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जल्दर, पंजीयन क्रमांक 146/15-06-2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1016)

रीवा, दिनांक 25 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2018/1875.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/401, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हर्दी खुर्द, पंजीयन क्रमांक 1095/10-04-2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस.के.झा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हर्दी खुर्द, पंजीयन क्रमांक 1095/10-04-2013 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

शिवम मिश्रा,
उप-पंजीयक.

(1017)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, न्यु लक्की साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 अगस्त, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित यातायात सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	न्यु लक्की सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-612/ए छठा फ्लोर, राजानी भवन, 569-ए, एम. जी. रोड, इन्दौर).	डी.आर./आय. डी. आर./2454, दिनांक 18 अगस्त, 2010	क्र./पंजी./2018/1279, दिनांक 06 अगस्त, 2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 06 अगस्त, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा के मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये. संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(978)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, भावना यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 अगस्त, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित यातायात सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	भावना यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-.....,इन्दौर).	डी.आर./आय. डी. आर./275, दिनांक 29 अक्टूबर, 1992	क्र./पंजी./2018/281, दिनांक 06 अगस्त, 2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा के मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये. संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(979)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, मेक्स लाईन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 अगस्त, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित यातायात सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के

माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	मेक्स लाईन सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-575, एम.जी.रोड, परदेशीपुरा, इन्दौर).	डी.आर./आय. डी. आर./166, दिनांक 05 सितम्बर, 2013	क्र./पंजी./2018/1280, दिनांक 06 अगस्त, 2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 06 अगस्त, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा के मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये. संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

सुरेश भण्डारी,

उप अंकेक्षक एवं समानुदेशिती.

(980)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री रणजीत बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 07 अगस्त, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित यातायात सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री रणजीत बुनकर सहकारी संस्था मर्या., 100 साकेत नगर, इन्दौर.	पंजी. क्र.डी.आर./आय.डी.आर./568, दिनांक 18 अगस्त, 1980	संशोधित आदेश क्र./गृह-विधि/2018/ 1282, दिनांक 06 अगस्त, 2018.

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 06 अगस्त, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं मान्य किये जावें. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये. ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(982)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, पार्श्वनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 07 अगस्त, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित यातायात सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती

नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	पार्श्वनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., 16 महारानी रोड, इन्दौर.	पंजी. क्र.डी.आर./आय.डी.आर./1163, दिनांक 23 मार्च, 1993	संशोधित आदेश क्र./गृह-विधि/2018/ 1285, दिनांक 06 अगस्त, 2018.

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 07 अगस्त, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावें. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

ज्योति जोशी,

उप अंकेक्षक एवं शासकीय समानुदेशिती
सहकारिता.

(983)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 01 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1108.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजनास रैयत, तहसील हरदा, जिला हरदा पंजीयन क्रमांक/ARH/HRD/158, दिनांक 28 अगस्त, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/123, हरदा दिनांक 21 फरवरी, 2014 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/30, हरदा, दिनांक 13 जनवरी, 2017 से श्री यू. एस. राठौर, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा दिनांक 02 जुलाई, 2018 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत् ठहराव पारित किया गया. उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशंसा की गयी है. मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है.

तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुए मैं, छविकान्त वाघमारें, सहकारी पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजनास रैयत, तहसील हरदा, जिला हरदा पंजीयन क्रमांक/ARH/HRD/158, दिनांक 28 अगस्त, 2008 को परिसमापक में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/123, हरदा, दिनांक 21 फरवरी, 2014 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था के कार्य संचालन हेतु श्री प्रसूनसिंह पर्यवेक्षक, दुग्ध शीत केन्द्र, हरदा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

छविकान्त वाघमारें,

सहायक पंजीयक.

(981)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 07 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2108.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन सतपुडा साख सहकारी समिति मर्या., पिपरिया पंजीयन क्र. 3342, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो

जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद परिसमापन सतपुडा साख सहकारी समिति मर्या., पिपरिया पंजीयन क्र. 3342, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(958)

होशंगाबाद, दिनांक 07 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2109.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन राधिका महिला साख सहकारी समिति मर्या., परसवाडा पंजीयन क्र. 3338, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद परिसमापन राधिका महिला साख सहकारी समिति मर्या., परसवाडा पंजीयन क्र. 3338, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(959)

होशंगाबाद, दिनांक 07 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2110.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/87, होशंगाबाद, दिनांक 06 जनवरी, 2016 के द्वारा परिसमापन जय बजरंग साख सहकारी समिति मर्या., महुआखेडा पंजीयन क्र. 3039, दिनांक 16 जुलाई, 2009 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद परिसमापन जय बजरंग साख सहकारी समिति मर्या., महुआखेडा पंजीयन क्र. 3039, दिनांक 16 जुलाई, 2009 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(960)

होशंगाबाद, दिनांक 07 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2111.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/87, होशंगाबाद, दिनांक 06 जनवरी, 2016 के द्वारा परिसमापन धनवर्षा साख सहकारी मर्या., पिपरिया पंजीयन क्र. 3341, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद परिसमापन धनवर्षा साख सहकारी मर्या., पिपरिया पंजीयन क्र. 3341, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(961)

होशंगाबाद, दिनांक 07 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2112.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/989, होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा परिसमापन मृत्युंजय यातायात सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2816, दिनांक 18 अगस्त, 2004 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुश्री विनिता चौधरी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद परिसमापन मृत्युंजय यातायात सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2816, दिनांक 18 अगस्त, 2004 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(962)

होशंगाबाद, दिनांक 07 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2113.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/989, होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा परिसमापन बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2642, दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुश्री विनिता चौधरी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, होशंगाबाद परिसमापन बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2642, दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 के निगमित निकाय (कापोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(963)

होशंगाबाद, दिनांक 07 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2115.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1536, होशंगाबाद, दिनांक 15 सितम्बर, 2016 के द्वारा परिसमापन साईं साधराम साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद पंजीयन क्र. 3334, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, होशंगाबाद परिसमापन साईं साधराम साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद पंजीयन क्र. 3334, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कापोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(964)

होशंगाबाद, दिनांक 07 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2116.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1336, होशंगाबाद, दिनांक 15 सितम्बर, 2016 के द्वारा परिसमापन सहकारिता विभाग कर्मचारी आडिट बोर्ड सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद पंजीयन क्र. 3281, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, होशंगाबाद परिसमापन सहकारिता विभाग कर्मचारी आडिट बोर्ड सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद पंजीयन क्र. 3281, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 के निगमित निकाय (कापोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(965)

होशंगाबाद, दिनांक 07 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2117.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3012, होशंगाबाद, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन अहिल्या प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2515, दिनांक 03 जनवरी, 1995 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री व्ही. एस. राजपूत, परिसमापक एवं उप अंकेशक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद परिसमापन अहिल्या प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2515, दिनांक 03 जनवरी, 1995 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(966)

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त, 2018-भाद्र 09 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है. तथा राज्य के निम्नांकित जिलों में कहीं-कहीं वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील-शिवपुरी (शिवपुरी)खाचरौंद, घटिया(उज्जैन), राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़(राजगढ़), रायसेन(रायसेन), जबलपुर(जबलपुर)मण्डला, नैनपुर, निवास, नारायणगंज, घूघरी(मण्डला), उमरैठ(छिंदवाड़ा) में उक्त मि.मी.के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई.**— बालाघाट में रबी धान रोपाई चालू है तथा जिला छिंदवाड़ा में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— जिला होशंगाबाद में गेहूँ, अनूपपुर में तुअर, आगर व बुरहानपुर में गेहूँ, चना जिला सिवनी में चना, मसूर, रीवा में अलसी, मसूर तथा जिला अशोकनगर, गुना, दमोह, सीधी, उज्जैन, शाजापुर, खरगोन, इन्दौर, भोपाल, सीहोर, बैतूल में रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

6. **सिंचाई.**— जिला शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, जबलपुर, सिवनी तहसील तामिया(छिंदवाड़ा) में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **चारा.**— राज्य के जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, सरसों, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मेंथी, मटर, मसूर, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. गोरमी 8. मौ 9. रौन	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मटर-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया : 1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, चना अधिक. गेहूँ, मटर, समान. सरसों, मटर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	3.0		4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर अधिक. चना, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .				
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनियां, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .				
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) चना, मटर, राई-सरसों, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .				
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. चंदला	. .				
10. धुवारा	. .				
11. लवकुश नगर	. .				
12. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, अलसी, मटर+बटरी, अधिक. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, आलू कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .				
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, अधिक. मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	. .				
2. खुरई	. .				
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मटर, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	. .				
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, अलसी, जौ समान. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .				
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-(बघेलान)	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. अलसी, मसूर की कटाई चालू	3. . . 4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक. गेहूँ, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .				
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुर(कर्चुलियान)	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, रई-सरसों, मसूर, अलसी, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. तूअर की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, रई-सरसों, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) रई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर समान. तुअर, चना, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. चँदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) तुअर, अलसी, चना, रई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. रई-सरसों समान. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) गेहूँ, सुधरी हुई शेष फसलें समान.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 . .	3. . . 4.(1) गेहूँ कम. (2) गेहूँ समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	. .				
2. नीमच	. .				
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2 . .	3. . . 4.(1) चना अधिक. गेहूँ कम. सबा समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	. .				
2. आलोट	. .				
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	. .				
8. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 रबी फसल कटाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	8.0				
2. महिदपुर	. .				
3. तराना	. .				
4. घटिया	1.0				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ व चना की कटाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .				
2. सुसनेर	. .				
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल कटाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) चना-अधिक. गेहूँ, लहसुन, प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	. .				
2. शाजापुर	. .				
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	. .				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, मूँग, रबी, राई-सरसों, मटर, मसूर, अधिक. गेहूँ कम हैं. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .				
2. टोंकखुर्द	. .				
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. हाटपिपल्या	. .				
7. सतवास	. .				
8. उदयनगर	. .				
9. खातेगांव	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना, मक्का, अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोडवा	. .				
5. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना, गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) चना, अलसी अधिक. गेहूँ, राई-सरसों, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, चना अधिक. तुअर, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) चना, मटर अधिक. गेहूँ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) गेहूँ एवं चना फसल समान हैं		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना का कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4.(1) गेहूँ, चना अधिक हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	1.0		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	1.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. खिलचीपुर	1.2				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	0.3				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) गेहूँ समान. चना फसल सुधरी हुई हैं.		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्याँदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ कम. तिवड़ा, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागड़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल कटाई कार्य चालू है.4.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		(1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आप्टा	. .		(2) उपरोक्त फसल समान है.		
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	0.4		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं.		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	0.7		4. (1) गेहूँ चना, मटर अधिक. मसूर, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) गेहूँ, सुधरी हुई हैं.		
3. सीहोरा	. .		शेष फसलें बिगड़ी हुई हैं.		
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ समान. मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तुअर, गेहूँ, समान. चना, मसूर, राई-सरसों सुधरी, हुई हैं.		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी).	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .		4.(1) मटर, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	. .		(2) . .		
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	7.2		4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	1.1		मटर, तिवड़ा, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	. .		कम.		
4. निवास	15.6		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
5. नारायणगंज	1.0				
6. घुघरी	1.3				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4.(1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		अलसी, लाख कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. तहसील	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	तामिया में	8. पर्याप्त.
2. तामिया	. .		(2) गेहूँ सुधरी हुई है. चना,	अप्राप्त	
3. परासिया	. .		समान है.	6. संतोषप्रद,	
4. जुन्नारदेव (जामई)	. .			चारा पर्याप्त.	
5. सांसर	. .				
6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	1.6				
10. मोहखेड	. .				
11. हरई	. .				
12. चांद	. .				
13. पाहुणा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. चना, मसूर की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	. .		मटर, मसूर, उड़द, रबी, मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	. .		रबी समान. लाख कम.		
4. कवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4.(1) धान, रबी समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्वा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलांजी	. .				

आर. पी. भारती,

संयुक्त आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(971)